कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष– वित्त/बजट) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/ बजट/1/ आंतरिक कक्ष / 646 भोपाल,दिनांक 3-3-04

प्रति,

समस्त वन सरक्षक,
समस्त वनमंडलाधिकारी,
म0प्र0

विषयः– राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिये स्थायी निर्देश "बीट सहायक के नाम पर श्रमिक लगान

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक वित्त/बजट के पत्र क्रमांक/बजट 922 दिनांक 27.4.89 तथा कक्ष–3/बजट–5/8040 दिनांक 13.12.96

–0–

मुख्य वन सरक्षक बजट/लेखा के पत्र क्रमांक बजट 922 दिनाक 27.4.89 के द्वारा अन्य निर्देशों के साथ–साथ बीटों की सुरक्षा के लिये अनाप–शनाप बीट सहायक नहीं लगाने के निर्देश दिये गये थें। पत्र दिनांक 13.2.96 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी वनमंडल मे यदि बीट सहायक लगाये जाते है तो इस प्रकार के समस्त अनावश्यक व्यय के लिये केवल वनमंडलाधिकारी ही दोषी होगें। उपरोक्त निर्देशों के बाद भी अप्रैल 1989 के बाद कुछ वनमंडलों में क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुये बीट सहायकों कों रखा गया है जिसके कारण आडिट के द्वारा आपत्तियां ली गई है। इस प्रकार की आपत्तियों के उत्तर में कुछ वनमंडलाधिकारियों द्वारा संवेदनशील बीटों में शासन हित में तथा दिसम्बर 1988 के पूर्व के कार्यरत श्रमिकों के समुचित उपयोग की दृष्टि से बीट हेल्परों कों रखा जाना आवश्यक रहना बताया गया है। इनसे संबंधित वन संरक्षकों के द्वारा भी इस स्थिति से अपनी सहमति बताई गई है। ऐसे ही एक प्रकरण के संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 18–13–2001/10–2 दिनांक 19.12.2002 के द्वारा बीट हेल्पर प्रथा समाप्त करने के जारी आदेशों पर पुर्नविचार किये जाने का लेख किया गया है। अतः प्रकरण पर पुर्नविचार करते हुये निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. मुख्य वन संरक्षक वित्त/बजट के संदर्भित पत्रों द्वारा बीट हेल्पर प्रथा समाप्त किये जाने के निर्देश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है।

2. समस्त वन संरक्षकों कों निर्देशित किया जाता है कि वें 1989 के निर्देशों के बाद अब तक रखे गये बीट हेल्परो के संबंध मे स्थिति की समीक्षा करते हुये तैनात किये गये बीट

हेल्परो के औचित्य की समीक्षा कर औचित्यपूर्ण लगाये गये बीट हेल्परो की स्वीकृति वनमंडलाधिकारियों को जारी करें एवं औचित्यपूर्ण नहीं पाये जाने पर इन श्रमिकों को लगाये जाने के संबंध में तत्कालीन वनमंडलाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें।

3. भविष्य में वनमंडलाधिकारी कोई बीट हेल्पर स्वतः नहीं रखेगें। वन संरक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त कर संवेदनशील बीटों में वर्ष 31.10.88 के पूर्व के दैनिक वेतन श्रमिक जिन्हें शासनादेश से नहीं निकाला गया है अथवा 31.10.88 के बाद के श्रमिक जिन्हें शासन आदेश के अनुसार कार्य पर रख लिया जायेगा, उन्हे बीट हेल्पर के तौर पर लगा सकते है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों पर कड़ाई से पालन किया जाये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

1369
21/3/04